

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राकेश कुमार साहू** **एमपी भूषण**
- 2. वर्तमान धारित पद **जिला प्रबंधक**
- 3. वर्तमान वेतन **8650+DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **अप्रैल 2011**

**एमपी भूषण**  
**जिला प्रबंधक**  
**मुरैना (म.प्र.)**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	

• जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह माहों की अवधि के पर्याप्त पर धोपणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

श्री श्री गणेशाय नमः

हस्ताक्षर **राकेश कुमार साहू** 11/05/2010  
 नाम **राकेश कुमार साहू**  
 पद **जिला प्रबंधक मुरैना (म.प्र.)**